न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 22.07.2020

जरिये मुनेश कुमार मीणा प्रर्वतन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 अर्चना इण्डेन गैस एजेन्सी टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 12 घरेलू खाली गैस सिलेण्डर मय को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार –प्रार्थी की ओर से
2– श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अभिभाषक –अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 07.02.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स अर्चना इण्डेन गैस एजेन्सी, टोंक के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 14.07.2020 को किया गया। मौके पर प्रो. श्री मुकेश कुमार मीणा स्वंय उपस्थित हुए। गौदाम के भौतिक सत्यापन में गैस एजेन्सी के अधिकृत सिलेण्डरों के अलावा अन्य गैस कम्पनी के 12 सिलेण्डर खाली गौदाम में अवैध रूप से भण्डारित करना पाया गया जिसके बारे में मौके पर प्रोपराईटर से पूछताछ की गई जिसका प्रोपराईटर द्वारा मौके पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। गैस एजेन्सी संचालक द्वारा उक्त अनियमिता कारित कर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया जिसके कारण मौके पर अनाधिकृत रूप से रखे पाये गये दूसरी गैस कम्पनी के सिलेण्डरों को मौके पर जब्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन
01	55567	HP Gas	14.2 k.g.	16.8
02	838210-T	HP Gas	14.2 k.g.	15.8
03	773534-B	HP Gas	14.2 k.g.	16.3
04	615598-P	HP Gas	14.2 k.g.	15.9
05	271144-T	HP Gas	14.2 k.g.	15.7
06	627365-S	HP Gas	14.2 k.g.	16.2
07	150365	Bharat Gas	14.2 k.g.	16.0
08	715381	Bharat Gas	14.2 k.g.	16.0
09	034911-T	Bharat Gas	14.2 k.g.	15.8
10	19451-P	Bharat Gas	14.2 k.g.	15.4
11	547396-S	Bharat Gas	14.2 k.g.	15.5
12	188766-T	Relince Gas	14.2 k.g.	16.3

व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी उत्तरदाता द्वारा कोई अपराध अ. धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कारित नही किया गया है और ना ही तथाकथित अपराध से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध है। प्रार्थी अर्चना गैस एजेन्सी का प्रोपराईटर है। कोविड–19 माहमारी के समय सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रार्थी घरेलू श्रेणी के कनेक्शनो पर नियमित सप्लाई कर रहा था। सप्लाई करने के दौरान उपभोक्ताओ के यहॉ जाने पर उनके द्वारा तत्समय जो भी खाली सिलेण्डर उपलब्ध था, वह प्रार्थी को उपलब्ध करा दिये। प्रार्थी ने भी उक्त समय उपभोक्तओ की जरूरतो को देखते हुए सिलेण्डरो की सप्लाई की गई।

प्रार्थी के विरुद्ध गलत रूप से कार्यवाही अमल मे लायी गई है, उसके द्वारा किसी अन्य गैस एजेन्सी के सिलेण्डरो का भण्डारण भी नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कार्य मे किसी भी प्रकार की अनियमितता भी नही की गई है, उसके उपरांत भी

जिला कलेक्टर
टोंक

न्य गैस एजेन्सी के डीलरो से मिलीभगत कर प्रार्थी के विरुद्ध यह कार्यवाही अमल में ायी गई है। कोविड– 19 माहमारी सम्पूर्ण भारत मे फैली हुई थी, जिसका प्रत्येक यक्ति मे डर बना हुआ था, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु/सामान को हाथ गाने व उपयोग में लेने हेतु डरा हुआ था, ऐसी स्थिति मे घरेलु आवश्यकता के लिये ार्थी ने उपभोक्ताओ को सिलेण्डर उपलब्ध करवाये है। लेकिन उपभोक्ताओ द्वारा बात व तथ्य छिपाते हुए अन्य गैस एजेन्सी के सिलेण्डर रखे गये है. जिनसे प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है। अतः प्रार्थी के विरूद्व अमल मे लायी गई कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्रॉप की जावे।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स अर्चना इण्डेन गैस एजेन्सी टोंक के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 14.07.2020 को किया गया। मौके पर प्रो. श्री मुकेश कुमार मीणा स्वंय उपस्थित हुए। गौदाम के भौतिक सत्यापन में गैस एजेन्सी के अधिकृत सिलेण्डरों के अलावा अन्य गैस कम्पनी के 12 सिलेण्डर खाली गौदाम में अवैध रूप से भण्डारित करना पाया गया जिसके बारे में मौके पर प्रोपराईटर से पूछताछ की गई जिसका प्रोपराईटर द्वारा मौके पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। गैस एजेन्सी संचालक द्वारा उक्त अनियमिता कारित कर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया जिसके कारण मौके पर अनाधिकृत रूप से रखे पाये गये दूसरी गैस कम्पनी के सिलेण्डरों को मौके पर जब्त किया गया। इस प्रकार गैस एजेन्सी संचालक द्वारा इण्डेन गैस कम्पनी के अलावा अन्य गैस कम्पनी के सिलेण्डर गौदाम में रखना पाया गया जिसमें सिलेण्डरों में हेरा फेरी कर कालाबाजारी की सम्भवना से इनकार नहीं किया जा सकता। गैस एजेन्सी संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप से दूसरी कम्पनी के 12 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डरों का गौदाम में भण्डारण कर एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों जब्त किया गया तथा जब्त गैस सिलेण्डर को सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु मौके पर ही मैसर्स अर्चना इण्डेन एजेन्सी टोंक के प्रोपराईटर श्री मुकेश कुमार मीणा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 14.07.2020 के अनुसार मैसर्स अर्चना इण्डेन गैस एजेन्सी टोंक के गोदाम की तलाशी/निरीक्षण करने पर मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली गोदाम मे अवैध रूप से भण्डारित करना पाये जाने पर मैसर्स अर्चना इण्डेन गैस एजेन्सी टोंक के प्रोपराईटर श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा संतोषप्रद जवाब नही दिये जाने पर उनको जब्त किया गया। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन
01	55567	HP Gas	14.2 k.g.	16.8
02	838210-T	HP Gas	14.2 k.g.	15.8
03	773534-B	HP Gas	14.2 k.g.	16.3
04	615598-P	HP Gas	14.2 k.g.	15.9
05	271144-T	HP Gas	14.2 k.g.	15.7
06	627365-S	HP Gas	14.2 k.g.	16.2
07	150365	Bharat Gas	14.2 k.g.	16.0
08	715381	Bharat Gas	14.2 k.g.	16.0
09	034911-T	Bharat Gas	14.2 k.g.	15.8
10	19451-P	Bharat Gas	14.2 k.g.	15.4
11	547396-S	Bharat Gas	14.2 k.g.	15.5
12	188766-T	Relince Gas	14.2 k.g.	16.3

आकस्मिक निरीक्षण करने पर जांच दल द्वारा जांच करने पर गोदाम मे मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मनराज व मुनेश के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी मनराज व मुनेश के हस्ताक्षर है तथा मुकेश कुमार मीणा प्रोपराईटर मै. अर्चना इण्डेन एजेन्सी टोक के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने कार्य मे किसी भी प्रकार से अनियमितता नही की गई है,उसके उपरांत भी अन्य गैस एजेन्सी के डीलरो से मिलीभगत कर प्रार्थी के विरुद्ध यह कार्यवाही अमल में लायी गई है,परन्तु इस कथन कि तायद मे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है।

कार्यालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है। गैस एजेन्सी संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप से दूसरी कम्पनी के 12 सिलेण्डरो का गोदाम मे भण्डारण कर उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 12 नग खाली रसोई गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक